

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 3 /02/2021


क्रमांक 221 /215/2021/38-2 :- आत्म निर्भर मध्यप्रदेश योजना, आउटपुट 5.12 के अंतर्गत निर्धारित सब एक्टिविटी 5.12.2.2 के अनुसार समस्त विश्वविद्यालयों को डिजिटल लॉकर योजना से एकीकृत किया जाना है।

2/- इस सब एक्टिविटी के क्रियांवयन हेतु राज्य शासन स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा अनुसार वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा डिजिटल लॉकर से इंटीग्रेशन हेतु स्कोप ऑफ वर्क एवं कार्य योजना निर्धारित कर ली गई है।

3/- वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एवं मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल के लिए समस्त स्नातक विद्यार्थियों की सत्र 2016-17, सत्र 2017-2018 एवं सत्र 2018-2019 की अंकसूत्रियां डिजिटल लॉकर से इंटीग्रेट करने हेतु 31 मार्च 2021 समयसीमा निर्धारित की जाती है। अन्य शेष पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक शासकीय विश्वविद्यालयों के लिए यह समयसीमा 30 अप्रैल 2021 नियत की जाती है। इसके पश्चात अन्य कक्षाओं एवं सत्रों के लिए प्रक्रिया सतत जारी रहेगी।

4/- पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक शासकीय विश्वविद्यालय, वरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से स्कोप ऑफ वर्क एवं कार्य योजना प्राप्त कर सकते हैं।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(वीरन सिंह भल्लावी)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 3 /02/2021

क्रमांक 222 /215/2021/38-2,
प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)
- 2 प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ ऑफिसर, मंत्रालय, भोपाल।
- 3 आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- 4 समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
- 6 कुल सचिव समस्त पारंपरिक शासकीय विश्वविद्यालयों की ओर पालनार्थ।
- 7 कुल सचिव समस्त गैर पारंपरिक शासकीय विद्यालयों की ओर पालनार्थ।
- 9 अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की ओर समस्त निजी विश्वविद्यालयों में डिजिटल लॉकर से इंटीग्रेशन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ण कराने हेतु।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग